न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 69 / 2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

धर्मसिंह पुत्र छिद्दीराम आयु 45 साल जाति जाटव निवासी दौलतगढ तहसील रूपवास जिला भरतपुर

............अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार साहब, (रूपवास, उच्चैन)

..............रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.08.19 नायव तहसीलदार उच्चैन मि0सं0 14 / 2019 सरकार बनाम कमला (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री सुरेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 13.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत नायव तहसीलदार उच्चैन की आज्ञा दिनांक 26.08.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा खिलाफ कानून नियमों के विपरीत है जो काविल मन्सूखी के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे बिना पैमाईश कराये, बिना बहस सुने व साक्ष्य पेश किये बिना एक तरफा में निर्णय दने में कानूनी भूल की है जो कि विधि विपरीत है। मरघट खसरा नम्बर 623 रकवा 3 वीघा 19 विस्वा अलग से मौजूद है। अपीलान्ट द्वारा जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा अपने पटटे के आधार पर दिनांक 06.01.1975 जो ग्राम पंचायत जारी किया गया था। उस आधार पर काबिज है व गैतवाडा बना हुआ है मौके पर बिटोरा बुर्जी पेड पौधे आदि लगे हुये है। अपीलान्ट के पास और कोई आवादी व गैतवाडा की

जमीन नहीं है इसी कारण दिनांक 06.12.2004 को 30 वाई 45 का प्लॉट इसी भूमि में अपीलान्ट को आवंटित किया गया था। नायव तहसीलदार व पटवारी हल्का ने स्पष्ट धमकी दी है कि दिनांक 27.09.2019 तक अपने कब्जे को हटा ले अगर नहीं हटाया गया तो तुम्हे जबरदस्ती बेदखल कर दिया जावेगा।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी 23.08.2019 नियत थी। 23.08.2019 को राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित हो जाने के कारण दिनांक 26.08.2019 को अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना साक्ष्य पेश किये तहत अदालत ने निर्णय पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ है। अपीलान्ट ने मरधट की कोई जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है जबकि अपीलान्ट को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.01.1975 में आवंटित भूमि पर ही कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट का कब्जा हटाना चाहता है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलदार उच्चैन के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 623 रकवा 3.19 वीघा में से रकवा 0.01 बीघा पर गेत बिटोरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। विवादित भूमि मरघट की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का यह कहना कि नायव तहसीलदार उच्चैन

का निर्णय दिनांक 26.08.2019 कानून के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.07.2019 की आदेशिका के अनुसार अपीलकर्ता के जबाब नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया है तथा पत्रावली को आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 23.08.2019 की पेशी पर रखा गया था। इस बीच राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.08.2019 को कृष्ण जन्माष्टी का राजकीय अवकाश घोषित हो जाने के कारण उस दिन राजकीय कार्यालय / न्यायालय बन्द रहे। दिनांक 24.08.2019 को शनिवार व दिनांक 25.08.2019 को रविवार का राजकीय अवकाश होने के कारण पत्रावली को अगले कार्य दिवस अर्थात दिनांक 26.08.2019 को पेशी पर लिया जाकर निर्णय किया गया है। नायव तहसीलदार उच्चैन के निर्णय में भी इस बात का जिक्र आया है कि आवादी भूमि का विक्रय विलेख (पटट्ा) सम्बन्धी असल दस्तावेज पेश नहीं किये गये है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार नायव तहसीलदार उच्चैन के निर्णय दिनांक 23.08.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर